सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

23 SHRAWAN 1946 (S)

No. 536

RANCHI WEDNESDAY 14th AUGUST, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th August, 2024

Notification No.- 04/2024 – State Tax(Rate)

S.O. No. 11, Dated 14th August, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 9D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9E	Chapter 99	Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of – (a) sale of platform tickets; (b) facility of retiring rooms/waiting rooms; (c) cloak room services; (d) battery operated car services.	Nil	Nil

9F	Chapter 99	Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(s)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways).	Nil	Nil
9G	Chapter 99	Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration.	Nil	Nil";

(B) in serial number 12, -

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9963 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- Nothing contained in this entry shall apply to-

(a) accommodation services for students in student residences;

(b) accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest accommodations and the like.";

(C) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12A	Heading 9963	Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.	Nil	Nil".

2. This notification shall be deemed to be effective from the 15th day of July, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2024]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,

Secretary,

Commercial taxes Department.

Note: The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification No. 13/2023 - State Tax (Rate), dated the 5th March, 2024 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 60, dated the 5th March, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 04/2024- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 11, दिनांक 14 अगस्त, 2024--झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्यकर विभाग- की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9ङ.	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/ प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध रखरखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य

(ख) क्रम संख्या 12 में,

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";

(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963	आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो ।	शून्य	शून्य"।

2 यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2024]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोटः मूल अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 5 मार्च, 2024 जिसे एस. ओ. सं. 60, दिनांक 5 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 536 -- 50.